



न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 गवालियर

तिथि | ३४३३/PBR/15

प्रकरण क्रमांक

/2015 पुनरीक्षण

श्री श्री अधिकारी भाई कामल
द्वारा आज दि २३.१०.१५ को
प्रस्तुत
कलौता अफ कोट
राजस्व मण्डल म0प्र. गवालियर

बद्रीलाल पुत्र हरीसिंह आयु— 51

व्यवसाय— कृषि निवासी— ग्राम

जलोधिया पन्त, तहसील देपालपुर,
जिला इन्दौर, म0प्र0 — आवेदक

बनाम

1. श्री कलौता समाज कल्याण ट्रस्ट द्वारा
अध्यक्ष दयाराम पुत्र ओमकार जी
परिहार आयु— 76 साल व्यवसाय—
वकालत, निवासी— ग्राम जलोधिया
पन्त, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर,
म0प्र0
2. म0प्र0 शासन — अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता

1959 विरुद्ध आदेश दिनांकी 14/08/2015 पारित द्वारा

अपर आयुक्त महोदय इन्दौर सम्बाग इन्दौर प्रकरण

क्रमांक 196/अप्रील/2014-15 व उनवान बद्रीलाल

बनाम कलौता समाज ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है:

R3433-P B2/ 15 दोहरा

वर्दीलाल / उल्लेख नाम

11.5.2017

आवेदक बड़ीलाल के समेत उपायिता
अनुसंधान विभाग 1 के ओर से श्री अमर केंद्र
विजयेन्द्र आचार्या एवं अनुबंध विभाग 2
के ओर से श्री वी.एस. व्याजी आचार्या एवं
उपायिता। आवेदक ने विकल्प किया है।
तथा प्रभु ने इसका न्यायिक आवाहन किया है।
आवेदक इनकार किया जाता है।
इसके बारे में आवाहन समाप्त किया

श्री अमर केंद्र विजयेन्द्र आचार्या — 355 — फोनसे — 3-2-16-30,000 प्रपत्र

प्राप्त है।

11.5.2017
Not pressed
11.5.2017

अध्यक्ष
अध्यक्ष